राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27 (75) ग्राविवि/ग्रुप–5/पीएमएवाई--जी/कार्यान्वयन समिति/ 2016–17 दिनांक 23.03.2017

–:: बैठक कार्यवाही विवरण ::–

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के कियान्वयन, निगरानी एवं समन्वयन हेतु समसख्यक आदेश दिनांक 09 फरवरी, 2017 के द्वारा गठित राज्य स्तरीय कियान्वयन, निगरानी एवं समन्वयन समिति की बैठक मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान की अध्यक्षता में समसंख्यक आदेश दिनांक 02 मार्च 2017 की अनुपालना में दिनांक 15.03.2017 को अपराह्नः 4.00 बजे शासन सचिवालय मुख्य भवन में स्थिति कमेटी भवन रूम न. –1 में आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारियों ने भाग लियाः–

1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
2 प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
3 शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
4 शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5 आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा।
6 निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन।
7 जिला कलेक्टर जयपुर (विशेष आमंत्रित)।
8 संयुक्त सचिव, आयोजना।
9 अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति।
10 प्रोफेसर, इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान।

बैठक में शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण का परिचय, मुख्य प्रावधान के साथ इन्दिरा आवास योजना से भिन्न बिन्दुओं जिनका समावेश/परिवर्तन प्रधानमंत्री योजना में किया गया है के सम्बंध में जानकारी दी गई। योजना के अन्तर्गत SECC-2011 के आधार पर 13 बिन्दुओं के डिपरिवेशन एवं पूर्व में लाभान्वित नही होने वाले परिवारों को पात्र मानकर ग्राम पंचायतवार वरीयता सूची तैयार की गई। योजना के अन्तर्गत अनुदान राशि 50,000 रू बढाकर 1,20,000 रू की गई है एवं निर्मित क्षेत्रफल में रसोई को अनुमत करते हुये क्षेत्रफल 20 वर्गमीटर से बढाकर 25 वर्गमीटर किया गया है।

योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, दीनदयाल उपाध्याय कुटीर ज्योति योजना, उज्जवला योजना एवं पेयजल योजनाओं आदि से कर्नवजेन्स भी किया गया है।

SECC-2011 के आधार पर राज्य में 27.24 लाख पात्रता वाले परिवारों में से SECC-2011 के कम में आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक 11.56 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया है। उक्तानुसार ग्राम सभा से अनुमोदित सूची पर प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में अपीलेट कमेटी से परीक्षण उपरान्त तैयार ग्राम पंचायतवार वरीयता सूची आवाससॉफ्ट पर अपलोड की गई है, जिसके अनुसार राज्य में 16.60 लाख पात्र परिवार है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 तक राज्य को 6.75 लाख का लक्ष्य आवंटित कर कुल राशि रू. 8425 करोड का वित्तीय आवंटन बाबत् अवगत कराया गया है।

बैठक के ऐजेण्डा बिन्दुवार चर्चा उपरान्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये :–

एजेन्डा बिन्दु – 1

वर्ष 2016–17 के लक्ष्य एवं प्रगति पर समीक्षा :–

योजनान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 हेतु 1.87 लाख, वर्ष 2017–18 हेतु 2.44 लाख तथा वर्ष 2018–19 हेतु 2.44 लाख के वर्षवार लक्ष्य आवंटित किये गये है। इसी कम में SECC-2011 के आंकडों के आधार पर दिनांक 28.11.2016 को आयोजित विशेष ग्राम सभाओं में अनुमोदन एवं प्राप्त आपत्तियों के अपीलेट कमेटी से निस्तारण उपरान्त अन्तिम वरीयता सूची

माह दिसम्बर, 2016 में तैयार की गई। इसी कम में राज्य को आवंटित लक्ष्यानुसार स्वीकृति जारी कराने एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त राशि रू. 700.48 करोड के उपयोग सुनिश्चित करने हेतु पात्र परिवारों के अनुपातिक आधार पर जिलेवार लक्ष्यों का निर्धारण किया गया। उल्लेखनीय है कि स्वीकृति के साथ प्रथम किश्त की राशि 25 प्रतिशत निर्धारित है, जिससे जारी प्रथम किश्तें आवंटित लक्ष्यों से दुगने लक्ष्यों तक स्वीकृति जारी होने पर भी इस वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता नहीं होगी, अपितु वर्ष 2017–18 हेतु राज्य को आवंटित लक्ष्य जिनकी स्वीकृति 01 अप्रैल से जारी की जानी है, 2016–17 वर्ष में बिना अतिरिक्त वित्तीय आवंटन के स्वीकृति की प्रकिया पूरी की जा सकें। अतः वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के लक्ष्य सहित जिलों को वर्ष 2016–17 के लिए कुल 4.31 लाख आवास के संकलित लक्ष्य पत्र दिनांक 02.01.2017 द्वारा आवंटित किये गये है। साथ ही उक्त सम्बन्ध में पत्र दिनांक 02.01.2017 द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को वर्ष 2016–17 के लिए कुल 4.31 लाख आवास की स्वीकृति जारी करने/राशि हस्तान्तरण करने की आवाससॉफ्ट पर आवश्यक प्रावधान/अनुमति बाबत् अनुरोध किया गया।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 25.01.2017 द्वारा राज्य को वर्ष 2016–17 हेतु 2.50 लाख, वर्ष 2017–18 हेतु 2.13 लाख तथा वर्ष 2018–19 हेतु 2.12 लाख के वर्षवार संशोधित लक्ष्य आवंटित किये गये।

उक्तानुसार वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के सम्भावित लक्ष्य सहित आवंटित कुल 4.31 लाख आवास के विरूद्ध रजिस्ट्रेशन 3.95 लाख, जीओं टैगिंग 1.97 लाख, स्वीकृतियां 1.42 लाख जारी की जा चुकी है। विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्राशः की प्रथम किश्त की राशि रू. 700.48 करोड जारी हो चुकी है, राज्यांशः जारी किया जाना है।

उक्त सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा शहरों के समीप ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना –अरबन के अनुसार ही एक से अधिक मंजिल वाले आवासों के निर्माण/आवंटन की संभावना को तलाशने के निर्देश दिये गये।

एजेन्डा बिन्दु – 2,

राज्य जिला ब्लॉक स्तर पर कार्यकम प्रबंधन ईकाई के गठन पर चर्चा :–

योजना के दिशा–निर्देशों के प्रावधानुसार सघन मॉनिटरिंग व्यवस्था हेतु कार्यकम प्रबंधन इकाई के गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग से चर्चा उपरान्त इन्दिरा आवास योजना हेतु उपलब्ध कार्मिकों की विस्तृत सूचना के साथ राज्य जिला ब्लॉक स्तर पर कार्यकम प्रबंधन ईकाई के गठन का प्रस्ताव पत्रावली पर वित्त विभाग को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

एजेन्डा बिन्दु – 3

भूमिहीन पात्रता वाले परिवारों को भूखण्ड उपलब्ध कराने पर चर्चा :–

वन विभाग, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग एवं राजस्व विभाग को उनके द्वारा बीपीएल परिवारों को निःशुल्क/रियासती दर पर भू–खण्ड आवंटन या आवास बनाने का अनुमति के निर्देशों को वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के लाभार्थियों के परिपेक्ष्य में अद्यतन निर्देश प्रदान करने हेतु अ.शा. टीप दिनांक 28.02.2017 द्वारा अनुरोध किया गया है, जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

विशेष आमंत्रित जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के पात्र परिवारों को भू–खण्ड आवंटन में आ रही समस्याओं के कम में चर्चा उपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया :–

क्र. सं.	भूमिहीन परिवारों को भूमि आवंटन में समस्या	निर्णय/निर्देश
1	शहरी क्षेत्र के समीप पेरीफेरी ग्राम पंचायतों में परिवारों को भू–खण्ड आवंटन के जेडीए के पास कोई नियम, प्रावधान नहीं है। इस कम में प्रमुख शासन सचिव, UDH को पत्र दिनांक 22.11.2016 के द्वारा जिला कलक्टर द्वारा अनुरोध किया गया है।	नगरीय विकास विभाग को राज्य के सभी विकास प्राधिकरण/ शहरी निकायों के नियमों में योजना के पात्र परिवारो को प्राथमिकता से भू–खण्ड आवंटन के नियम/प्रावधान कराया जावें।
2	चारागाह के अतिक्रमण को नियमन के कम में यदि भूमि उस ग्राम में अन्यत्र उपलब्ध नहीं हो तो तहसील/जिले के अन्य ग्राम में उपलब्ध कराने का प्रावधान कराये जाने पर विचार किया जावें।	इस कम में राजस्व विभाग आवश्यक कार्यवाही करें।

3	वन क्षेत्र में निवास कर रहें अधिकांश पात्र परिवारों को वन अधिकार पत्र जारी नहीं होने के कारण वन क्षेत्र में निवास कर रहे पात्र परिवार आवास के लाभ से वंचित है।	इस क्रम में वन विभाग आवश्यक कार्यवाही करें।
4	ग्राम पंचायतों के पास आबादी भूमि उपलब्ध नहीं होने की दशा में ग्राम पंचायतों से भू परिवर्तन के प्रस्ताव प्रस्तुत कर योजना के पात्र परिवारों को प्राथमिकता से भू–खण्ड आवंटित करने में प्रकियात्मक शिथिलता दी जावें।	इस क्रम में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग आवश्यक कार्यवाही कर अभियान के रूप में योजना के पात्र परिवारों को न्यूनतम 50 वर्गगज के भू–खण्ड आवंटित करावें। शहरी क्षेत्र के समीप पेरीफरी ग्राम पंचायतों में एक भू–खण्ड पर एक से अधिक मंजिल के आवास निर्माण कराने के क्रम में भारत सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावें।

एजेन्डा बिन्दु – 4

दुर्गम क्षेत्रों में शामिल किये जाने हेतु डांग, मंगरा, मेवात, बीएडीपी एवं मरूस्थलीय क्षेत्रों को शामिल करना :–

योजना के जारी दिशा–निर्देश के अध्याय 2 के बिन्दु संख्या 2.2 के 'ग' में मैदानी क्षेत्रों में इकाई सहायता को 70,000 रू. से बढ़ाकर 1.20 लाख रू. और पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों एवं आई.पी. जिलों में 75,000 रू. से बढाकर 1.30 लाख रू. का प्रावधान किया गया है।

राज्य में पर्वतीय क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र यथा डांग, मगरा, मेवात क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र एवं मरूस्थलीय क्षेत्र होने के बावजूद भी राज्य में इकाई सहायता 1.20 लाख रू. पूरे राज्य हेतु लागू है।

अतः राज्य के उक्त क्षेत्रों को दुर्गम क्षेत्रों शामिल कराने बाबत् प्रस्ताव एमपार्वड कमेटी की बैठक दिनांक 08.03.2017 को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में प्रेषित किये गये है। जिसका अनुमोदन करते हुए सेहरिया जनजाति के परिवारों को भी शामिल करने के प्रस्ताव भेजने हेतु निणर्य लिया गया।

एजेन्डा बिन्दु – 5

SECC–2011 के डाटा की विसंगतियों को सही कराने के सम्बन्ध में :–

Empowered committee की बैठक दिनांक 08.03.2017 में चर्चा उपरान्त निर्देशानुसार विभागीय पत्र दिनांक 07 मार्च, 2017 द्वारा संयुक्त सचिव (आवास), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को SECC-2011 के डाटा में आ रही विसंगतियों को दूर करने हेतु आग्रह किया गया है, के सम्बन्ध में बैठक में चर्चा उपरान्त ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार स्तर से विसंगतियों को दूर करवाने हेतु पुनः अनुरोध किया जावें।

एजेन्डा बिन्दु – 6

वर्ष 2017–18 की कार्ययोजना :–

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त लक्ष्यों के क्रम में वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के लक्ष्य सहित वर्ष 2016–17 के लिए कुल 4.31 लाख आवास के संकलित लक्ष्य वर्ष 2016–17 में जिलों को आंवटन एवं उनके विरूद्ध 3.95 लाख लाभार्थियों के पंजीकरण के क्रम में चर्चा उपरान्त ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त वर्ष 2017–18 के वित्तीय आवंटन के अनुसार वित्त विभाग को राज्यांश हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग।
7. निजी सचिव, सुंयक्त सचिव (ग्रामीण आवास), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. निजी सचिव, महानिदेशक, इन्दिरा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
12. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
13. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
14. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
15. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण।
16. निजी सचिव, जिला कलक्टर जयपुर।
17. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति।
18. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एवं मू) ग्राविवि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने बाबत।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)